

उत्तराखण्ड में भूमिपंजीकरण कागज़ रहति होगा

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार पूरे राज्य में [भूमिपंजीकरण के लिये कागज़ रहति प्रणाली](#) लागू करने की तैयारी में है।

प्रमुख बंदि

- **स्टाम्प एवं पंजीकरण वंभलग ने इस पहल के लिये एक आधारभूत रूपरेखा तैयार की है।**
- राज्य के वित्तमंत्ररी **परेमचंद अग्रवाल** ने घोषणा की कि "उत्तराखण्ड ऑनलाइन दस्तावेज़ पंजीकरण नयिमावली 2025" को आगामी कैबनेट बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत कयिा जाएगा।
- कैबनेट की सहमती मिलने पर इस प्रणाली को औपचारिक रूप से लागू कर दयिा जाएगा।
- **भूमिपंजीकरण का डिजिटल रूपांतरण:**
 - नई प्रणाली का उद्देश्य कागज़ रहति पंजीकरण, [आधार प्रमाणीकरण](#) और आभासी पंजीकरण प्रक्रयिाओं को शुरू करके पंजीकरण प्रक्रयिा को बढ़ाना है।
 - संपत्ती लेनदेन में शामिल पक्षों के पास **उप-पंजीयक कार्यालय** में व्यक्तगित रूप से जाने या [वीडयिो केवाईसी \(अपने ग्राहक को जानें\)](#) के माध्यम से **दस्तावेज़ सत्यापन पूरा करने का विकल्प** होगा।
 - **उप-रजसिटरार डिजिटल हस्ताकषर** का उपयोग करके प्रक्रयिा को अंतमि रूप देंगे और पक्षों को **व्हाट्सएप** और **ईमेल** के माध्यम से तुरंत सूचति करेंगे।
- **महत्त्व:**
 - भूमिलेनदेन प्रक्रयिा के साथ **आधार प्रमाणीकरण को एकीकृत करने से सार्वजनिक सुवधि में सुधार और पारदर्शति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।**
 - इस कदम का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रयिा में **धोखाधडी की गतविधिथिों पर अंकुश लगाना** है। सरकार यह सुनिश्चति करने के लिये प्रतबिद्ध है कि भूमि खरीद और बकिरी प्रक्रयिा पारदर्शी और कुशल हो।

आधार:

- **आधार एक 12 अंकों की व्यक्तगित पहचान संख्या है जसि भारत सरकार की ओर से [भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण](#) द्वारा जारी कयिा जाता है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आती है।**
 - **आधार संख्या** प्रत्येक व्यक्त के लिये अद्वितीय है और जीवन भर मान्य है।
 - आधार संख्या नविसयिों को **बैंकगि, मोबाइल फोन कनेक्शन** और अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी।
 - **जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी** के आधार पर व्यक्तयिों की पहचान स्थापति करता है।
 - यह एक स्वैच्छक सेवा है, जसिका लाभ प्रत्येक नविसी वर्तमान दस्तावेज़ों के बावजूद उठा सकता है।